भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2921

उत्तर देने की तारीखः 18.03.2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति

2921. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेशों में अध्ययन हेतु प्रदान की गई छात्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत दस वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोई नई पहल की है; और

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल कितने छात्र विदेशों में सामाजिक कल्याण उपायों की मदद से अध्ययन कर रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): विगत दस वर्षों के दौरान विदेशों में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	विगत दस वर्षों के दौरान विदेशों में अध्ययन के लिए एनओएस के तहत चयनित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	2014-15	59	20
2.	2015-16	50	15
3.	2016-17	108*	16
4.	2017-18	178*	20
5.	2018-19	97	20
6.	2019-20	97	20
7.	2020-21	90	20
8.	2021-22	122	20

9.	2022-23	119	20
10.	2023-24	117	23
कुल		**1037**	**194**
* पिछले वर्षों के रिक्त स्लॉटों को आगे बढ़ाया गया।			

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया के सरलीकरण, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के आमंत्रण; पुलिस सत्यापन की आवश्यकता की समाप्ति तथा लंबित मामले/अपराध में दोषसिद्धि न होने के संबंध में स्व-घोषणा की प्राप्ति; क्यूएस रैंकिंग आधारित चयन प्रक्रिया की शुरूआत; परिवार की आय सीमा, स्लॉटों की संख्या तथा वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि जैसी नई पहलें की गई हैं।

(ग): वर्तमान समय में अनुसूचित जाति के 263 छात्र और अनुसूचित जनजाति के 39 छात्र विदेशों में अध्ययन कर रहे हैं।

*****